संक्षिप्त

नीता कंवर को प्रशासक के पद से पदमुक्त

निवाई। ग्राम पंचायत नटवाड़ा प्रशासक नीता कंवर को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासक के पद से पदमुक्त कर दिया है। नीता कंवर के विरुद्ध जॉच रिपोर्ट में पद का दुरूपयोग करने, कोरम पूर्ति के अभाव में ठाम सभा में जीर्ण-शीर्ण भवनों को नीलाम करने, निर्मित राजकीय भवनों की भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के नीलामी की कार्यवाही करने, सरकारी भवनों की सामठी की नीलामी नहीं कराने से राजस्व हानि होने, कृषि पर्यवेक्षक भवन एवं कांजी हाउस की चारदीवारी को बिना गिराए ही नीलाम करने एवं नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने सम्बन्धी आरोप प्रमाणित होने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय त्रिलोकचन्द मीना ने नीता कंवर को नटवाड़ा प्रशासक के पद से पदमुक्त कर दिया।

सिरस में बरसात से फसलों में नुकसान

सिरस। सिरस क्षेत्र में बुधवार की शाम गर्जना व तेज हवा के साथ रुक-रुक कर बरसात हुई। बरसात व तेज हवा से गेहूं की फसल में नुकसान हुआ है। कई किसान तो सरसों की कटाई कर रहे हैं व सरसों की कटी हुई फसल को इक-ा कर रहे हैं। तेज हवा के साथ बरसात होने से खेतों में खडी गेहूं की फसल भी जमीन पर गिर गई। फसल आड़ी पडने से क्षेत्र के किसान चिंतित है। किसान रामनिवास चौधरी ने बताया कि तेज हवा के साथ बरसात होने से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल में दाने पडने के कारण अब फसल को दोबारा खडी होना मुश्किल है। जिससे पैदावार प्रभावित होगी।

कलश शोभायात्रा आज

देवली । शहर के एजेंसी एरिया स्थित डिबोक गार्डन में 20 फरवरी को दिवंगत नोरती देवी की स्मृति में भव्य कलश शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा। डिबोक परिवार द्वारा आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे कलश यात्रा के साथ होगी, जिसमें बडी संख्या में महिलाएं मंगल कलश धारण कर शिरकत करेंगी। आयोजक व डिबोक ग्रुप के चैयरमेन मुकेश मनवीर सिंह महावर ने बताया कि शोभायात्रा के बाद शाम 4 बजे से महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है, किसी के साथ शाम 6:00 गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी धर्मप्रेमियों को आमंत्रित किया गया है। मुकेश मनवीर ने बताया कि इस कार्यक्रम में सैकड़ो लोग शामिल होंगे।

बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई

सांभरझील,(निसं)। निकटवर्ती खतवाड़ी बस स्टेंड पर सवारियों से भरी एक बस अनियन्त्रित हो गई। यहां एक दूसरी स्कूल बस बच्चों को ड्रॉप करने व लेने के लिए खड़ी थी जिससे भिड़ंत लगने से बस में बैठे 5 बच्चें भी चोटिल होना बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस उत्तरप्रदेश के सिकंदराबाद से मकराना शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए बाराती आ रहे थे।सड़क पर गड्ढे के कारण धंस गई तथा विधुत पोल से टकरा गई । रफ्तार तेज होने से पोल को तोड़ते हुए बस स्टेंड पर बना चबूतरे से टकराकर पीपल के पेड़ से जा भिड़ी गनीमत रही कि विधुत सप्लाई चालू नहीं थी। अन्यथा कोई बड़ी जन हानि हो सकती थी। इधर, सरपंच गिरधारी लाल सहित ग्रामीणों का कहना है कि यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग की रोड पर संवेदक की लापरवाही से कुछ तकनीकी खामियां रख दी गई। आए दिन वाहन चालकों और राहगीरों को चोटिल होने का भय लगा रहता है। नया ब्रेकर बनाने व धंसी हुई रोड को पुन: मरम्मत की दरकार है। उक्त समस्या को लेकर जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग को इसे पूर्व लिखित शिकायत देकर कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई प्रभावी कारवाई नहीं होने से आक्रोशित आमजन में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों नें सड़क की कमियों को दूर कर गुणवत्ता पूर्वक बनाने कार्य करने का निवेदन किया है।

सांभरझील के निकटवर्ती खतवाड़ी बस स्टेंड पर सवारियों से भरी एक बस अनियन्त्रित होने से स्कूल बस से भिड़ंत हो गई।

- हादसे के बाद बस में बैठे 5 बच्चें भी चोटिल हो गये बस में उत्तरप्रदेश के सिकंदराबाद से मकराना शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए बाराती आ रहे थे।

फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली

उदयपुर,19 फरवरी(का.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में नियमित जमानत दे दी। अदालत ने साथ ही विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की अपेक्षा जताई। श्वेतांबरी 13 फरवरी को मिली अंतरिम जमानत पर पहले ही जेल से बाहर आ चुकी हैं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि मामला मूलत: व्यावसायिक लेन.देन से उपजा प्रतीत होता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत,न्यायमूर्ति जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें भट्ट दंपती को जमानत देने से इनकार किया गया था। इससे पहले श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। पीठ ने आदेश में कहा कि एफआईआर में भले ही धोखाधडी के तत्व दर्ज हों, लेकिन विवाद का मूल स्वरूप वाणिज्यिक है। ऐसे में पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होकर भुगतान विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशें। अदालत ने जमानत इसी उम्मीद के साथ दी कि दोनों पक्ष आपसी सहमति की दिशा में गंभीर प्रयास करेंगे।

जमानत के बावजूद जांच व न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का अर्थ आरोपों से मुक्ति नहीं है। अब निगाहें मध्यस्थता प्रक्रिया पर हैं. क्या भुगतान विवाद आपसी समझौते से सुलझ पाता है या मामला आगे ट्रायल की ओर बढ़ता है।

गौरतलब है कि विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी को इंदिरा आईवीएफ और इंदिरा एंटरटेनमेंट के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया के साथ हुई करोडों की धोखाधडी मामले में 7 दिसंबर 2025 को उदयपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड पूरी होने पर 16 दिसंबर को इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। विक्रम भट्ट तब से उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।

- जमानत के बावजूद जांच व न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का अर्थ आरोपों से मुक्ति नहीं है। अब निगाहें मध्यस्थता प्रक्रिया पर हैं. क्या भुगतान विवाद आपसी समझौते से सुलझ पाता है या मामला आगे ट्रायल की ओर बढ़ता है

सांभर में भक्ति मार्ग पर चलने का सरल मार्ग बनी ''प्रभात फेरी''

सांभर में सूर्योदय से पहले प्रभात फेरी कई वर्षों से अनवरत जारी है। प्रभात फेरी प्रमुख रास्तों व अनेक मौहल्लों से होकर निकलती है।

सांभरझील, (निसं)। सांभर में सूर्योदय से पहले प्रभात फेरी कई वर्षों से अनवरत जारी है। प्रभात फेरी यहां के प्रमुख रास्तों व अनेक मौहल्लों से होकर निकलती है।

प्रभात फेरी का लोगों में आध्यात्मिक चेतना जगाकर व सरल भाव में रहकर जीवन को अधिक ऊर्जावान बनाना, परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना पैदा करना व सद्मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक उन्नित प्रमुख उद्देश्य है। भक्तों की टोली ढोलक, हारमोनियम व मंजीरे बजाते हुए भक्ति रस पर आधारित जब भजनों की प्रस्तुति गाते हुए चलती है तो समूचा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। खास बात यह है कि भक्तों की टोली में अधिकांश युवा है जो नियमित रूप से अनेक मंदिरों में भी भजनों की प्रस्तुतियां पेश करते हैं।

सुखड़िया विश्वविद्यालय में जियोयुथ का शुभांरम्भ

उदयपुर । 14वें अखिल भारतीय विद्यार्थी सिम्पोजियम जियोयुथ 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रो. कैलाश सोढानी सलाहकार, उच्चशिक्षा राज्यपाल, राजस्थान ने किया। अपने उधबोधन् में विद्यार्थियों को आवाह्न करते हुऐ कहा कि वे शोध कार्य को गहनता व तत्तपरता से ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करे। विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए डॉ. सोडानी ने कहा की पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला में अधिक समय व्यतित करे व निरन्तर अध्ययन करने की क्षमता को विकसित करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रो. सी.पी.जैन, अधिष्ठाता विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ने छात्रों के अध्ययन की बारीकियों और नवीनतम जानकारियों को समावेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ.पी.सी.औदिच्य सेवानिवृत प्रोफेसर एवं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, ने विभाग के गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डालते हुए जियोयूथ के सभी संस्करणों के बारे में संस्मरण साझा किये। कार्यक्रम के अन्य विशिष्ट अतिथि प्रो. अनुपम भटनागर, विभागाध्यक्ष खनन अभियांत्रिक विभाग एवं पूर्व अधिष्ठाता सिटीएआई महाविद्यालय एमपीयूटी ने भू-विज्ञान एवं खनन के पारस्परिक सहयोग से खनिजों के अनवेष्णों एवं नवीनतम तकनीको को अपनाने के बारे में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। पृथ्वी संकाय की अध्यक्षा प्रो. सीमा जालान ने पृथ्वी संकाय के तीनों महत्वपूर्ण विभाग-भूगोल, पयार्वरण विज्ञान एवं भू-विज्ञान के मिले जुले अध्ययन से नये शोध क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए आवाह्न किया। कार्यक्रम की शुरूआत में विभागाध्यक्ष डॉ. रितेश पुरोहित ने बताया कि इस जियोयूथ में लगभग 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे है ।

एक ही परिवार के पांच लोगों को कार ने मारी टक्कर

देवली। देवली उपखंड के दूनी थाना क्षेत्र के धांधोली कट के पास गुरुवार को एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने खुशियों भरे माहौल को मातम में बदल दिया। यहाँ हुई एक भीषण टक्कर में 12 वर्षीय बालक और उसके दादा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हैं।

दूनी थाने के सहायक उपनिरीक्षक बद्रीलाल यादव ने बताया कि बूंदी कोतवाली में कार्यरत कांस्टेबल हंसराज के पिता बन्नालाल गुर्जर निवासी बालापुरा, अपने बेटे के नए मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम से लौट रहे थे। हंसराज का यह मकान जयपुर रोड पर बनाया गया था।

वे बाइक पर अपनी बहन हंगामी देवी और पौत्र अमन व पौत्री रिया के साथ देवली से निवारिया की ओर जा रहे थे, तभी निवारिया कट के समीप एक बेकाबू कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।

खोया पाया

मैं सुरेश कुमार गरेड़ पुत्र जगदीश प्रसाद गरेड़ रेलवे स्टेशन के पास खादी बाग गरेड़ो की ढाणी चौमूं का रहने वाला हूँ मेरा गणपति सिटी रेनवाल रोड चौमूं पर एक प्लाट नं 34 का पट्टा जो कि ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर पंजीकरण संख्या 2757/L है और एक आईसीआईसीआई बैंक शाखा चौमूं का चेक नंबर 014465 चेक जो गोविन्दगढ से लेकर चौमूं तहसील जिला जयपुर के बीच दिनांक 16/02/2026 को गिर गये है। हमनें खुब तलाश किया लेकन नहीं मिले। जिस किसी को भी मिले तो कृपया सूचित करें 9950632668

मेरे भूखण्ड संख्या-1179 रोहिणी नगर -3 योजना का मूल आवंटन पत्र कही गुम हो गए है मिलने पर सम्पर्क करें दिव्यांशु गोयल, फोन नंबर - 9413902608

मेरे भूखण्ड संख्या- H-266 अभिनव विहार विस्तार योजना का मूल आवंटन पत्र कब्ज़ा पत्र कही गुम हो गए है मिलने पर सम्पर्क करें दिलीप शर्मा, फोन नंबर - 7665538877

मेरे भूखण्ड संख्या- A-16 अभिनव विहार योजना का मूल आवंटन पत्र कही गुम हो गए है मिलने पर सम्पर्क करें राजकुमार दौलतानी, फोन नंबर - 8690273216

मेरी IV सेमेस्टर B.tech की मार्कशीट इनरोलमेंट नं. EODE/116/175 नीयर रेल्वेस्टेशन जयपुर पर खो गए हैं। मिलने पर सूचित करें:- नीरज परमार- 8007053988

मेरे मकान सं. 194/406, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र भौतिक कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 8005805701

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधित व्यय पत्र, टीका कॉलोनी, सवाई मान रोड एवं, जयपुर 302004)
क्रमांक:F-JDA/Zone 22/2026/D-46 **आम सूचना**

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 280294 दिनांक 02.02.2026 को निम्नांकित भखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

आवेदक का नाम	मूल आवंटी /लीज धारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.म.म./निजी खातेदारी /जयिा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
Lokesh Mishra S/O Shambhu Dayal Sharma	श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री शम्भु दयाल शर्मा	60	200.00 SQ Meter	JDA	Pitambra Yojna Sector /Block -G	Name Transfer	जयिा की आवश्यक योजना पीताम्बरा योजना के भूखंड सं. जी 60

क्षेत्रफल 200 व.मी. की लीजडीड श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री शम्भुदयाल शर्मा दिनांक 01.10.2015 को जारी की गई। श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री शम्भुदयाल शर्मा द्वारा दिनांक 01.06.2023 को रजिस्ट्रर्ड बिल के माध्यम से उक्त भूखंड का स्वामित्व उनकी मृत्यु पश्चात् उनके पुत्र श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री शंभु दयाल शर्मा को प्रदान करने हेतु अपनी सहमति दी है। श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री शंभुदयाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 25.10.2025 को होने के पश्चात् उनके पुत्र / आवेदक कर्ता श्री लोकेश पुत्र श्री शम्भुदयाल शर्मा उक्त भूखंड की जारी लीजडीड में नाम स्थानांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जारर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email ID: dchmw.jmc@gmail.com
Phone No. 0141-2329953
क्रमांक-F51()Dept.Comm./H.M.A.Z.@2025/1978
सार्वजनिक सूचना दिनांक-28/1/26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, कमल कुमार शर्मा एवं मुकेश शर्मा पुत्रान स्व.श्री गंगाराम शर्मा निवासी-भूखण्ड संख्या 01, नगर परिषद कॉलोनी, कंवर नगर, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 01, नगर परिषद कॉलोनी, कंवर नगर, जयपुर का योजना के तहत पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। जिसमें आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र, नक्शे की प्रति एवं अन्य स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। अतः उक्त के संबंध में किसी व्यक्ति/सरकारी/गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को लिखित मे सूचित करें। मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त, हवामहल-आमेर जोन,
नगर निगम हैरिटेज जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री विनोद भारती जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, श्री अर्पण जैन पुत्र श्री विनोद भारती जैन, श्रीमती निधी जैन पत्नी स्व. श्री अक्षत जैन पुत्र श्री विनोद भारती जैन के संयुक्त स्वामित्व व अधिकार की सम्पति प्लाट नं. जेड-1ए, योजना सन सिटी फेज-II विस्तार-I ग्राम नीदड़, सीकर रोड, जयपुर राजस्थान मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1376.54 वर्गमीटर है को आवासीय तामीरात का निर्माण करने हेतु एच. डी.एफ.सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त कर मेरे अभिभाष्यगण उक्त सम्पति को एच. डी.एफ.सी. बैंक लि. (ऋण खाता नं.704749486) मे बंधक रखना चाहते है तथा यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को उक्त सम्पति के बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट
दिनांक:-20.02.2026 मो.नं. 9829256466
डांगरथल हाऊस, नाना जी का बाग, मोती डूंगरी रोड, फतेह टीबा मार्ग, जयपुर-302004

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:10208 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:06.02.2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगनेर योजना में आवास संख्या 63/21 (MIG-A), (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री भोजराज शर्मा पुत्र स्व. पं. किशन लाल जी श्रीमाली को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2446 दिनांक 18.03.2000 को जारी किया गया। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 13.04.2000 को प्राप्त कर लिया। श्री भोजराज शर्मा की मृत्यु दिनांक 02.11.2020 को हो जाने के कारण घोषणा पत्र एवं राशन कार्ड के आधार पर इनकी पत्नी श्रीमती विनोद देवी पत्नी श्री भोजराज शर्मा द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती विनोद देवी पत्नी श्री भोजराज शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या रफीका पत्नी स्वर्गीय श्री गुल्लू कुरैशी, निवासी-सी-424, शहीद इन्द्रा ज्योति नगर, भट्ठा बस्ती, जयपुर का पुत्र मोहसिन कुरैशी, आयु-व्यस्क एवं पुत्रवधु सवा उनके कहने में नही है तथा मेरी अभिभाष्या का कहना नही मानते है तथा अपनी मनमानी करते है जिससे मेरी अभिभाष्या का समाज व विरादरी में इज्जत खराब हो रही है तथा मेरी अभिभाष्या को झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी देते है जिस कारण मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र मोहसिन कुरैशी एवं पुत्रवधु सवा को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहें।
जयपुर (अख्तर नईम) एडवोकेट
दिनांक मो.-9829571847

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)
क्रमांक-58 दिनांक-18/2/26
नोटिस सर्व साधारण के सूचनार्थ
विषय-गुडडीकंवर आदि बनाम् राजस्थान सरकार आदि
दावा
मुकदमा नम्बर 24/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकाश सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान जो वादीगण के पति/पिता है जो वर्ष 2008 से लापता है जिसको काफी तलाशने पर भी नही मिला है जिस पर 1. गुड्डी कंवर पत्नी प्रकाश सिंह 2. मुकेश सिंह पुत्र प्रभात 3. दीपेन्द्रसिंह पुत्र प्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने इनकी सिविल मृत्यु घोषित कराने हेतु वाद घोषणात्मक इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इसमें किसी भी प्रकार का एतराज हो तो दिनांक 20/04/26 को अदालत में हाजिर होकर अपना प्रार्थना पत्र पेश करे।
आज दिनांक 17/02/26 को बसत्व मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।
मोहर अदालत **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)**

आम सूचना/जन्मतिथि संशोधन

मैं रेखा बेनीवाल पत्नी स्वर्गीय श्री सतवीर सिंह बेनीवाल निवासी जाट की सराय, हिंडौन सिटी जिला करौली राजस्थान सशपथ घोषणा करती हूं कि मेरे पति जिनका आर्मी नंबर 146572 28 H है जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके आर्मी रिकॉर्ड में मेरी जन्म तिथि 15/10/1985 दर्ज हो गई है जो गलत है, जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में सही जन्मतिथि 20-10-1983 दर्ज है। अब मैं अपने पति के आर्मी रिकॉर्ड में मेरी सही जन्म तिथि 20/10/1983 दर्ज करवाना चाहती हूं। भविष्य में मेरी सही जन्मतिथि 20/10/1983 ही जानी जावे। सूचित रहे।

कार्यालय श्रीदेवनारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीदेवनारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया द्वारा अतिरिक्त अनाज घी खुली बोली द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है जिसमें सभी बोलीदाता दि. 22/2/2026 समय 11 बजे स्थान मंदिर परिसर जोधपुरिया पर निविदा आमंत्रित है। नियम व शर्तें ट्रस्ट कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
महामंत्री

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-10130 दिनांक-04/02/2026
जाहिर आम-सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास/फ्लैट संख्या 85/413 (LIG) का आवंटन श्री छेटू राम सैनी पुत्र श्री तादूराम सैनी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 843 दिनांक 19.11.1993 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 16.05.2012 को कर दिया गया। श्री छेटू राम सैनी द्वारा श्री सुनील मदनानी पुत्र श्री परसराम मदनानी को दिनांक 16.05.2012 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री सुनील मदनानी द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा को दिनांक 19.10.2012 विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया गया। क्रेता श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए
पब्लिक कम्पनी को प्राईवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में तथा
प्रकाश दीप फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
28, लोअर ग्राँपिग, पार्ट-ए, गणपति प्लाजा, एम.आई रोड, जयपुर, राजस्थान - 302001

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे परिवर्तन को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 9 फरवरी 2026 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए इच्छुक है।
कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए एक शपथ पत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रिय निदेशक, आरओसी भवन, रूपल पार्क सोसायटी के सामने, अंकुर बस स्टेड के पीछे, नारणपुर, अहमदाबाद 380013, गुजरात के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिये।
कृते एवं के लिये
प्रकाश दीप फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
प्रकाश चन्द शर्मा
दिनांक 19.02.2026 प्रबन्ध निदेशक
स्थान: जयपुर डीआईएन: 00183185

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:10408 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:19.02.2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 264/244-A (EWS), (एरिया 50.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी श्री अमर सिंह रावत को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 8370 दिनांक 04.12.2005 को जारी किया गया। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 31.12.2005 को प्राप्त कर लिया गया। श्रीमती रामप्यारी देवी की मृत्यु दिनांक 05.08.2024 को हो जाने के कारण शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर इनके पति श्री अमर सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह रावत द्वारा उक्त आवास स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री अमर सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह रावत का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं, एक्स हॉनरी सूबेदार मेजर (DH) गुरु दयाल, निवासी ढाणी लुहारा वाली, नानू वाली बावड़ी, खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.) - 333503, यह घोषित करता हूँ कि मेरे सेना अभिलेखों में मेरे पिता का नाम एवं जन्मतिथि गलत दर्ज है। वहाँ नाम माली राम तथा जन्मतिथि 02.12.1944 अंकित है। मेरे पिता का सही नाम माली राम गुर्जर तथा सही जन्मतिथि 12.02.1946 है।

मैंने मेरा नाम सरोज शर्मा से बदलकर सरोज जोशी रख लिया है भविष्य में मुझे सरोज जोशी पत्नि श्री सत्यनारायण जोशी के नाम से जाना जाये। पता- 24, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़, जयपुर (राजस्थान)

I Rajbala tanwar legally wedded spouse of service GS 174699N dashrath singh resident of 103 yagh dutt niwaru road jhotwara road jaipur that I want to change my name from RAJBALA TANWAR To RAJBALA DEVI vide affidavit dated 18 feb 2026 before district sub majistrate jaipur City South

I Ravina is legally daughter of service GS 174699N Rank SS dashrath singh resident of 103 yagh dutt niwaru road jhotwara jaipur that I want to change my name from RAVINA To RAVINA CHAUHAN vide affidavit dated 18 feb 2026 before district sub majistrate jaipur city south

I Nattha Prasad dependent of no.17015605X Rank NK Arun Kumar resident of village-Rudauli, Post- Peeparganw Newada, Teh.- Sandila, Dist.- Hardoi, Uttar Pradesh have changed my Name from Nattha Prasad to Nattha Ram vide affidavit dated 18 September 2025 Chirawa.

I Mogal Asifa Begum spouse of no. JC-781082X rank NB Sub M Anwar Baig resident of village Shakti Nagar, Post- LB Nagar, Teh.- Saroor nagar, dist.- Ranga Reddy, Telangana have changed my Name from Mogal Asifa Begum to Syed Asifa vide affidavit dated 27 November 2025 Chirawa.

I have changed my name Kum. Mona Kumari Jain to Mona Jain for all future and legal purpose. Address. 13/46, Swarn Path, Mansarovar, Jaipur

I have changed my name from Yunus Umarsha Shahmadar to yunus Shahmadar S/o Umar Bhai Resident of C-222, Rana Heritage Appartment, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur. For all purpose.

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकद